"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013—चैत्र 1, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक ई-01-02/2013/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991), सचिव, वित्त तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से केवल सचिव, वित्त विभाग का पदभार वापिस लेते हुए उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त पदभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

2. श्री गणेश शंकर मिश्रा,भा.प्र.से. (1994), आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा आयुक्त आबकारी एवं पदेन सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग एवं प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन को केवल आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पदभार से मुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक ई 7-10/2012/1-2.—डॉ. संजय अलंग, तत्का. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 29-10-2012 से 03-11-2012 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 04-11-2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में डॉ. अलंग को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अलंग अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक ई 7-16/2007/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ तथा जनसम्पर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग दिनांक 18-01-2013 से 23-01-2013 तक (06 दिवस) (कार्योत्तर) लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. बैजेन्द्र कुमार प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. एवं जनसम्पर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एन. बैजेन्द्र कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. बैजेन्द्र कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक 994/389/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहृत करते हुए उक्त न्यायाधीश को उक्त सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब

न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थ करता है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि उक्त कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री के. विनोद कुजूर, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.	तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.

No./994/389/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh withdrawing the services of the member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule, from High Court, appoints him Judge of the Family Court specified in column No. (3) of the said schedule. He is directed to take over the charge in the said Family Court.

S. No.	Name of Judicial Officer with Present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri K. Vinod Kujur, IV Additional District & Sessions Judge, Durg.	III Additional Principal Judge Family Court, Durg.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक 994/389/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को उक्त सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश पदस्थ करता है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.
2.	श्रीमती कांता मार्टिन, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.

No./994/389/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh, appoints the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule,

as Judge of the Family Court specified in column No. (3) of the said schedule. They are directed to take over the charge in the said Family Court.

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with Present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Govind Kumar Mishra, II Additional Principal Judge, Family Court Durg.	I Additional Principal Judge Family Court, Durg.
2.	Smt. Kanta Martin, III Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	II Additional Principal Judge Family Court, Durg.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक 02/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	नवापारा प. ह. नं. 26	0.53	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	कुकदा एनीकट के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पण्डरीपानी प. ह. नं. 12(अ)	21.320	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग, जगदलपुर.	अटल बिहार योजना अंतर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक 01/2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	खड़गवां	आमाडांड़	5.390	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)	ग्राम आमाडांड़ में सिंचाई सुविधा देने हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां-चिरमिरी के कार्यालय में उपलब्ध है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश **चम्पावत**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक 02/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुकुरदीकेरा प. ह. नं. 50	1.94	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	हरदी एनीकट योजना पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/6/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.749 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
500/8	0.101
481/9	0.053
487/2	0.032
506	0.214
432/6	0.202
499/8	0.081
482/4	0.049
489/5	0.057
500/1	0.142
500/4	—
495/2	0.093
500/7ख	0.077
432/10	0.040
446/1घ	0.162
481/11	0.081
480/1	0.202
499/6	0.032
455	0.567

(1)	(2)	(1)	(2)
493	0.352	491/3	0.105
446/1ग	0.060	502/1	0.235
432/12	0.202	491/6	0.441
434/2	0.195	466/2	0.324
460	0.024	486, 1519/3	0.303
459/2	0.040	499/1	0.073
432/1ग	0.095	446/1क	0.221
445	0.040	458	0.364
451/1	0.599	508/1	0.121
456/1	0.672	432/1ख	0.101
419/3	0.166	433/3	0.071
482/2	0.122	454/2	0.812
432/9	0.069	432/8	0.020
494/2	1.133	500/2	0.121
499/4	0.032	432/3	0.162
481/4	0.138	448	0.089
484/2	0.206	451/4	0.097
501/4	0.069	481/1	0.015
500/7क	0.089	501/3	0.117
497/4	0.405	502/3	
501/1	0.065	486/3	0.061
405/2	0.010	499/5	0.154
449/2	0.809	432/7	0.020
481/12	0.092	498/5	0.012
498/2	0.134	482/1	0.032
490	0.146	487/1	0.105
457	0.498	432/11	0.020
497/1	0.121	494/3	0.809
456/3	0.671	481/10	0.065
433/2	0.263	507/3	0.004
454/1	0.324	452/2	0.010
271	0.287	480/3	0.101
462/3	0.239	432/2क	0.029
433/1	0.192	499/2	0.049
447	0.275	446/1ख	0.221
451/3	0.049	491/2	0.283
456/2	0.672	262/3	0.599
483	0.089	432/2ख	0.101
485/1	0.246	434/1	0.242
499/3	0.049	459/1	0.405
494/4	0.859	453	0.384
262/1	0.696	432/1क	0.699
481/5	0.101	444	0.934
486/1	0.369	449/1	0.118
502/2	0.352	451/5	0.073
419/4	0.214	481/6	0.009

(1)	(2)
482/3	0.024
488/1	0.478
487/3	0.041
489/4	0.304
488/2	0.008
495/4	0.080
419/1	0.284
500/6	0.243
481/7	0.101
484/1	0.093
452/1	0.010
488/3	0.040
489/8	0.073
489/1	0.064
495/5	0.105
436	0.045
462/1	0.101
481/8	0.101
485/2	0.105
485/3	0.081
489/2	0.154
491/1	0.122
507/1	0.664
495/6	0.049
480/4	0.101
435	0.146
481/3	0.243
450/1	0.010
451/2	0.441
486/2	0.202
489/6	0.049
500/5	0.231
495/3	0.037
500/3	0.081
494/1	0.792
योग 144	29.749

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./21/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिरहुलडीह, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.442 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	766/1/क/1	0.065
	766/1/क/2	0.073
	767/1	0.032
	768/1	0.040
	769/1	0.012
	769/3	0.077
	770/1	0.045
	771/1	0.093
	328	0.005
योग	9	0.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गीतानगर रामनगर मार्ग में हावड़ा मुम्बई मुख्य रेल लाईन के कि.मी. 831/5-7 पर रेल्वे ब्रिज के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/बंधुवा श्रमिक/सत.समि.ग./2012.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 13(2) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति हेतु निम्नांकित शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों का पुनर्गठन किया जाता है.

1.	जिला कार्यपालन दण्डाधिकारी	—		कलेक्टर बिलासपुर उनके अनुपस्थिति में
2.	उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति, अध्यक्ष	—		अति. कलेक्टर
3.	जिले में निवासरत अनु. जाति/जनजाति	—	(1)	श्री महेश चंद्रिकापुरे पार्षद, बिलासपुर (छ.ग.)
			(2)	श्री अनुज टण्डन, (पार्षद) जरहाभांठा बिलासपुर (छ.ग.)
			(3)	श्रीमति सरोज कच्छप, (सेवानिवृत प्राचार्या) बिलासपुर (छ.ग.)
4.	राज्य शसन द्वारा मनोनित अधिकारी	—	(1)	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (छ.ग.)
			(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.)
			(3)	सहा. आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर (छ.ग.)
5.	जिले में निवास करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता	—	(1)	श्री रूद्र अवस्थी (पत्रकार) नवभारत बिलासपुर (छ.ग.)
			(2)	श्री एस. पी. काले (अधिवक्ता) एवं बी.ए.एम.एस., श्रमिक प्रतिनिधि.
			(3)	श्री प्रवीण शुक्ला (संपादक) हरिभूमि बिलासपुर (छ.ग.) मो. नं. 9993093738
6.	जिले में कार्यरत बैंक अधिकारी	—	(1)	शाखा प्रबंध, राज्य सहकारी बैंक, बिलासपुर (छ.ग.)
7.	समिति का संयोजक	—	(1)	सहायक श्रमायुक्त बिलासपुर (छ.ग.)

रामसिंह,
कलेक्टर.